

2025/619

मिर्जा
15.12.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
ताराचन्द बनाम बृजलाल आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 422 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.07.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 05.08.2025 को पेश हो।</p> <p>5.8.2024 कुलार फरिडेन उपखण्ड/PU माह पत्रावली दिनांक 5.8.2024 का पेश हो</p>	
9.10.2024	<p>कुलार फरिडेन उपखण्ड/PU माह पत्रावली दिनांक 9.10.2024 का पेश हो</p>	
28.11.2024	<p>वकील वादी ने शर्चना - का मिमल पेश करने पर प्रजावली को पेची के निपागणा कुलार फरिडेन उपखण्ड वडी प्रुडिक्टि कड। ता इने दारिजिद उपखण्ड आकर शर्चनाका पेश किया जिसे काउ लसीड शर्चित करील किया गइल स्टेट जजक प्राप्त उकी प्रजावली का. हा. 05/12-2024 को पेश हो।</p>	<p>ताराचन्द बृजलाल मनीष शर्मा मंजु फ काय पेश</p>
15.12.2024	<p>कुलार फरिडेन उपखण्ड वडल मुनीगरी प्रजावली का अवलोकन किया गणा प्रजावली पर उपलब्ध रिपोर्ट करी वडी प्रुडिक्टि से शर्चनाका से आ कर पर काक वडी डिक्ली किया जाइल है। प्रुडिक्टिव शर्चित शर्चित अलग से लिखा जाकर शर्चित करील किया जमि प्रजावली नम्बर से काक की जाकर काउ लसीड शर्चित जाइल दारिजिद पेश हो।</p>	<p>बृजलाल</p>

